झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

संख्या 11 / सू0अ0अधि0–05 / 2000 (खण्ड–1) का0 1162 / राँची दिनांक 28/02/2023

विषयः– मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज अन्तर्गत विशेष अतिरिक्त पेंशन पर महँगाई भत्ता की अनुमान्यता के सम्बन्ध में।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015 एवं संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019 निर्गत है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(5)(a) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन तथा भत्ते एवं सेवाशर्तें चुनाव आयुक्त के समान होगी।

3. "The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018" में किये गये प्रावधानों के आलोक में मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019 के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त्त एवं बंधेज में संशोधन किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 4 में विशेष अतिरिक्त पेंशन के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

Under the 'Pension' head "Rs. 16020/- per annum w.e.f. 01.01.2006" shall be substituted with " Rs. 45,016/- per annum w.e.f. 01.01.2016" and "Rs. 5,40,000/- per annum w.e.f. 01.01.2006 shall be substituted with "Rs. 15,00,000/- per annum w.e.f. 01.01.2016".

4. विशेष अतिरिक्त पेंशन पर महँगाई भत्ता की देयता के संबंध में भारत चुनाव आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 193 / 1 / 2022(I) / 21919 दिनांक 04.10.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि :–

As per the "The Election Commission (Conditions of service of Election Comissioners and Transaction of Business) Act, 1991" the Salary, DA and other service conditions, etc. of Chief Election Commissioner and Election Commissioners are similar to those of a Judge of the Supreme Court of India.

5. न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या L-12036/1/2022-Jus.I दिनांक 14.11.2022 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुमान्य विशेष अतिरिक्त पेंशन पर महँगाई भत्ता की देयता के संबंध में सूचित किया गया है कि :–

"Special Additional Pension sanctioned under Part-2(b) of Part III of

कृ0पृ0उ0 / –

the Schedule to the Supreme Court Judges (Salaries & Conditions of Services) Act, 1958 is part of the basic pension sanctioned to a retiring judge, dearness allowance revised from time to time is also payable on it."

6. अतएव वर्णित स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015 एवं संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019 में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्तों को देय विशेष अतिरिक्त पेंशन पर महँगाई भत्ता अनुमान्य किया जाता है। उक्त महँगाई भत्ता का लाभ सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को देय होगा।

7. उपर्युक्त संशोधन पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संलेख ज्ञापांक 732 दिनांक 07.02.2023 में सन्निहित प्रस्ताव के आलोक में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 09.02.2023 में मद संख्या 17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

28/02/23

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / सू0अ0अधि0–05 / 2009(खण्ड–1) का0 1162 / राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपिः– ~~नोडल~~ पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / सू0अ0अधि0–05 / 2009(खण्ड–1) का0 1162 / राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपिः– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची / सभी सेवानिवृत्त मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / सू0अ0अधि0–05 / 2009(खण्ड–1) का0 1162 / राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के संयुक्त सचिव।